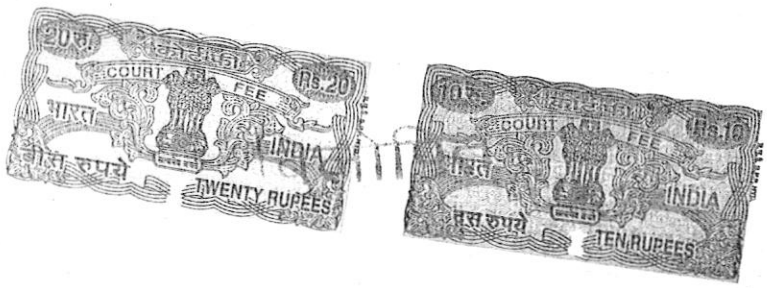

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

महेश गुलवानी पुत्र श्री मोहनदास गुलवानी निवासी वार्ड क. 3 खलकापुर राजगढ़ के नीचे जिला दतिया म.प्र.

—— आवेदक

बिरूद्ध

म.प्र. शासन

—— अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 माननीय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र.क. 43/14–15 रिव्यू में पारित आदेश दिनांक 07.12.2016 के विरूद्ध निगरानी जानकारी दिनांक 11.08.2017 से अन्दर अवधि प्रस्तुत।

मान्यवर,

आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार वाह्य तथा प्रकरण पत्रावली के विपरीत पारित होने से उक्त आज्ञायें अपास्तनीय है।

2. यह कि, जमा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/दतिया/भू रा./2017/2883

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
13/11/17	यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 43/2014–15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 11–8–2017 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़ एंव म.प्र.शासन के पैनल लायर श्री अनिल श्रीवास्तव के तर्क सुने गये। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि शीट कमांक 34 डी सर्वे कमांक 2250 भूखंड क. 66 क्षेत्रफल 173 वर्गमीटर के संबंध में प्रकरण कमांक 188 अ–20(1) 02–03 में अपर कलेक्टर दतिया ने आदेश दिनांक 28–4–03 से खंडहर दर्ज करने के आदेश दिये है किन्तु अपर कलेक्टर ने आवेदक के भूमिस्वामी होते हुये न तो उन्हें सुना है और न ही पक्षकार बनाया है। जानकारी होने पर उक्त आदेश की प्रमाणित प्राप्त कर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे आदेश दिनांक 15–4–15 से गलत आधारों पर निरस्त किया गया है एंव इसी आदेश के विरूद्ध जब पुनरावलोकन आवेदन दिया गया, अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ने प्रकरण कमांक 43/2014–15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 11–8–2017 से पुनरावलोकन आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर सुनवाई की जाय। म0प्र0शासन के पैनल लायर का तर्क है कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 43/2014–15 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 11–8–2017 से पुनरावलोकन	

आवेदन अवधि–वाह्य होने से निरस्त किया है , जिसके कारण निगरानी प्रचलन–योग्य नहीं है।

4/ दोनों पक्षों के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि दतिया नगरपालिका क्षेत्र स्थित शीट कमांक 34 डी सर्वे कमांक 2250 भूखंड क. 66 क्षेत्रफल 173 वर्गमीटर नगरेत्तर भूमि है जिसे अपर कलेक्टर दतिया ने प्रकरण कमांक 188 अ–20(1) 02–03 में पारित आदेश दिनांक 28–4–03 से खंडहर दर्ज करने के आदेश दिये हैं । वाद चिचारित भूमि नगरीय क्षेत्रान्तर्गत नजूल भूमि होना प्रतीत होता है। म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार के खंड एक में नगर निगमों, नगरपालिका नगरों तथा अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर नजूल भूमियों के प्रबंध तथा व्यवस्था हेतु नियम दिये हैं । म0प्र0राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–1 की कंडिका 18 के अनुसार नजूल क्षेत्र की भूमियों के सम्बन्ध में पारित आदेशों के विरूद्व निम्नानुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत के प्रावधान हैं :–

(1). कलेक्टर के अधीनस्थ अधिकारी या नजूल अधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व कलेक्टर को,

(2) कलेक्टर द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व आयुक्त को,

(3) आयुक्त द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्व राज्य शासन को।

उपरोक्त व्यवस्था अनुसार अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरूद्व अभ्यावेदन राज्य शासन को प्रस्तुत होगा, जिसके कारण अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–8–17 के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी सुनवाई–योग्य न होने से इसी–स्तर पर अग्राह्य की जाती है।

सदस्य